रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 292] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 5, 1972/अग्रहायण 14, 1894

No. 292] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 5, 1972/AGRAHAYANA 14, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th December 1972

G.S.R. 481(E).—In pursuance of section 12A of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby specifies the orders, namely, "The Andhra Pradesh Rice Procurement (Levy) and Restriction on Sale Order, 1967" and "The Andhra Pradesh Rice and Paddy (Restriction on Movement) Order, 1970," made by the Government of Andhra Pradesh under section 3 of the said Act, to be special orders for purposes of summary trial under the said section 12A.

[No. 203(Gen)(1)/90/72-PY.II.]

A. K. MAJUMDAR, Jt. Secy.

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 1972

सा० का० नि० 481(अ) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955(1955 का 10) की धारा 12क के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम, की धारा 3 के अधीन आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए आदेशों, अर्थात, आन्ध्र प्रदेश चावल उपादान (उद्ग्रहण) और विक्रय पर निर्बन्धन आदेश, 1967" और "आन्ध्र प्रदेश चावल और धान (संचलन पर निर्बन्धन) आदेश, 1970" को उक्त धारा 12 क के अधीन संक्षिप्त विचारण के प्रयोजनों के लिए विशेष आदेशों के रूप में एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं 203 (सा०) (1)/90/72टी वाई–II]

ए० के मजुमदार, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972